REGISTERED No. D. 221.

# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1963/AGRAHAYANA 19, 1885

## MINISTRY OF INDUSTRY

### RESOLUTION

*New Delhi, the 10th December 1963*

**No. 13(7)/62-Chem.II.**—The Tariff Commission who had undertaken an inquiry into the fair selling prices of sheet glass under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, made the following recommendations in its report (1962) on the subject:—

(i) The fair ex-works selling prices given below which are exclusive of all levies Central or State, should be notified as ceiling prices for sale of ordinary sheet glass, ex-factory, either directly or through selling agents or distributors of the manufacturers and these should be in force till the 31st December, 1965:—

A. WINDOW GLASS (Ordinary Quality) (Rupees per 10 Sq. Mts.)

| Sizes | 2 mm (16/18 oz.) | 3 mm (24 oz.) | 4 mm (32 oz.) |
|---|---|---|---|
| *Cut Sizes:* | | | |
| To 100 u/cm (40 U/I) | 37·25 | 50 25 | 78·25 |
| To 150 ,, (60 ,, ) | 39·00 | 55·25 | 86·00 |
| To 200 ,, (80 ,, ) | 44·75 | 65·25 | 101·75 |
| To 250 ,, (100 ,, ) | 52·25 | 75·50 | 117·50 |
| To 300 ,, (120 ,, ) | 57·75 | 88·00 | 133·00 |
| *Manufacturing Sizes:* | | | |
| Lengths 152/168 cms. Width 60/95 cms. | 46·50 | 67·75 | 105·75 |
| Lengths 152/168 cms. Width 100 cms. and above. | 56·00 | 85·50 | 125 25 |

B. THICK SHEET GLASS (Ordinary Quality) (Rupees per Sq. Mt.)

| | 4·8 mm (3/16") | 5·5 mm (7/32") |
|---|---|---|
| *Cut Sizes:* | | |
| To 0·18 Sq. Mt. (2 Sq. Ft.) | 9·68 | 11·18 |
| To 0·27 ,, (3 ,, ) | 13·05 | 14·53 |
| To 0·45 ,, (5 ,, ) | 15·98 | 17·88 |
| To 0·66 ,, (7 ,, ) | 16·93 | 19·00 |
| To 0·93 ,, (10 ,, ) | 18·38 | 21·23 |
| To 1·41 ,, (15 ,, ) | 19·35 | 22·35 |
| To 2·31 ,, (25 ,, ) | 21·28 | 24·58 |

(ii) The retail prices of window or thick sheet glass should not exceed by over 20 per cent the corresponding fair ex-works selling prices.

2. Government have considered recommendation (i) and have decided that in view of the higher production and utilisation of capacity envisaged in the industry, the average fair ex-works selling prices of ordinary sheet glass be fixed as under for the different thickness groups:—

| Thickness of sheet glass | Average fair ex-works price |
|---|---|
| | (Rupees per 10 Sq. Mts.) |
| 2 mm. | 41 |
| 3. mm. | 58 |
| 4 mm. | 83 |
| 4·8 mm. | 107 |
| 5·5 mm. | 119 |

The above prices shall be exclusive of excise duty and State Government/local levies. As the production pattern of various sheet glass units differs, it is left to the manufacturers to work out the prices of the various cut sizes produced by them in each thickness group keeping the average of the prices so worked out within the average fair ex-works selling price for that group and obtain Government's approval for the same. These prices will remain in force till the 31st March, 1964 when the position would be reviewed.

3. Government have also reconsidered recommendation (ii) in consultation with the Tariff Commission and are of the view that the retailers' margin of 20 per cent over and above the corresponding fair ex-works selling prices of different varieties of window or thick sheet glass is not adequate if it included the incidence of freight which is a greatly variable factor and which is particularly high for the retailers in the Western or the Southern region. With a view to ensuring a uniform margin for the retailers in all parts of the country, the Government have decided that the retailers' margin be limited to 12½ per cent over and above the corresponding fair ex-works prices and the actual incidence of freight be charged by them by adding it to the retail prices thus arrived at.

4. This is in supersession of the Resolution of even number, dated the 8th February, 1963.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. PRASAD, Jt. Secy.

---

**भारत सरकार**

**उद्योग मंत्रालय**

संकल्प

नई दिल्ली, १० दिसम्बर, १९६३

**सं० १३(७)/६२-रासा० २**:—टैरिफ आयोग ने, चादर कांच की उचित विक्रय कीमतों की बाबत जांच टैरिफ आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १२(घ) के अधीन की थी और उस ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट (१९६२) में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(१) नीचे दी गयी उचित कारखाना-द्वारे विक्रय कीमतें जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा किये जाने वाले सभी उद्ग्रहणों को गणना में न ले कर यहां दी गई हैं, मामूली चादर कांच की अधिकतम कारखाना-द्वारे विक्रय कीमतों के रूप में अधिसूचित क

जानी चाहियें चाहे वह विक्रय सीधे या विक्रय अभिकर्ताओं की मार्फत या विनिर्माताओं के विनरकों के मार्फत हो और ये ३१ दिसम्बर, १९६५ तक प्रवृत्त रहनी चाहियें ।

क. खिड़की कांच (मामूली प्रकार) (प्रति १० वर्ग मीटर रु०)

| आकार | २ मि० मी० (१६/१८ औं) | ३ मि० मी० (२४ औं) | ४ मि० मी० (३२ औं) |
|---|---|---|---|
| **कटे आकार—** | | | |
| १०० यु० से०मी० तक (४० यु०/इं०) | ३७·२५ | ५०·२५ | ७८·२५ |
| १५० यु० से०मी० तक (६० यु०/इं०) | ३९·०० | ५५·२५ | ८६·०० |
| २०० यु० से०मी० तक (८० यु०/इं०) | ४४·७५ | ६५·२५ | १०१·७५ |
| २५० यु० से०मी० तक (१०० यु०/इं०) | ५२·२५ | ७५·५० | ११७·५० |
| ३०० यु० से०मी० तक (१२० यु०/इं०) | ५७·७५ | ८८·०० | ११३·०० |
| **विनिर्माण-आकार** | | | |
| लम्बाई १५२/१६८ सें०मी० चौड़ाई ६०/९५ सें०मी० | ४६·५० | ६७·७५ | १०५·७५ |
| लम्बाई १५२/१६८ सें०मी० चौड़ाई १००/सें०मी० और इससे अधिक | ५६·०० | ८५·५० | १२५·२५ |

ख. मोटा चादर कांच (मामूली प्रकार) (रु० प्रति वर्ग मीटर)

| | ४·८ मि० मी० (३/१६ इं०) | ५·५ मि०मी० (७/३२ इं०) |
|---|---|---|
| **कटे आकार** | | |
| ०·१८ वर्ग मीटर तक (२ वर्ग फीट) . . | ९·६८ | ११·१८ |
| ०·२७ " " (३ " ") . . | १३·०५ | १४·५३ |
| ०·४५ " " (५ " ") . . | १५·९८ | १७·८८ |
| ०·६६ " " (७ " ") . . | १६·९३ | १९·०० |
| ०·९३ " " (१० " ") . . | १८·३८ | २१·२३ |
| १·४१ " " (१५ " ") . . | १९·३५ | २२·३५ |
| २·३१ " " (२५ " ") . . | २१·२८ | २४·५८ |

(२) खिड़की के या मोटे चादर कांच की फुटकर कीमतें उन की अपनी अपनी कारखाना-द्वारे उचित विक्रय कीमतों से २० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहियें ।

२ सरकार ने सिफारिश (१) पर विचार कर लिया है और यह विनिश्चित किया है कि इस उद्योग में पहले से अधिक उत्पादन होने और क्षमता का अधिक उपयोग किये जाने की सभावना को देखते हुए मामूली चादर काच की औसत उचित कारखाना-द्वारे विक्रय कीमतें विभिन्न मोटाई वाले वर्गों के लिए निम्नलिखित रूप में नियत की जायें—

| चादर-काच की मोटाई | औसत उचित कारखाना-द्वारे कीमत |
|---|---|
| | (रु० प्रति १० वर्ग मीटर) |
| २ मि० मी० | ४१ |
| ३ मि० मी० | ५८ |
| ४ मि० मी० | ८३ |
| ४·८ मि० मी० | १०७ |
| ५·५ मि० मी० | ११९ |

उत्पादन शुल्क और राज्य सरकार के या स्थानीय उद्ग्रहण उपरोक्त कीमतों के अलावा होंगे । चूंकि विभिन्न चादर काच यूनिटों के उत्पादन प्रतिमान अलग अलग होते है अतः यह बात विनिर्माताओं पर छोड़ दी गयी है कि वे हर एक मोटाई वाले वर्ग में अपने द्वारा उत्पादित कटे-आकार की कीमतें हिसाब कर के निकाल लें । ऐसे निकाली गयी कीमतों का औसत उस वर्ग के लिए औसत उचित कारखाना-द्वारे विक्रय कीमतों के अन्दर होना चाहिए । उन्हें ऐसे निकाली कीमतों के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । ये कीमतें ३१ मार्च १९६४ तक प्रवृत्त रहेंगी जबकि स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

३. सरकार ने टैरिफ आयोग से परामर्श कर के सिफारिश (२) पर भी विचार कर लिया है और उस की राय है कि विभिन्न प्रकार के खिड़की या मोटे चादर काच की उचित कारखाना-द्वारे विक्रय कीमतों के ऊपर फुटकर विक्रेताओं का २० प्रतिशत का मार्जिन उस सूरत में पर्याप्त नहीं है जिस में वस्तु भाड़ा जो अति परिवर्तनशील होता है और जो पश्चिमी या दक्षिणी क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए विशेषत. अधिक होता है, उस के ही अन्तर्गत आ जाता है । सरकार ने देश के सभी भागों में फुटकर विक्रेताओं के लिए एक सा मार्जिन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चित किया है कि फुटकर विक्रेताओं का मार्जिन सम्बद्ध उचित कारखाना-द्वारे कीमतों के ऊपर १२½ प्रतिशत तक मर्यादित होना चाहिए और ऐसे निकाली गयी फुटकर कीमतों में वास्तविक वस्तु भाड़ा जोड़ कर वे उस भाड़े को भी प्रभारित कर सकते है ।

४. यह संकल्प इसी संख्या के ८ फरवरी १९६३ वाले संकल्प को अभिष्ठित करता है ।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सब सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं आदि को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाए ।

आर० प्रसाद,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1963